

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट -II/13756 दिनांक 30.11.2021 के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल प्रशिक्षु निम्न निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करें:-

1. सभी प्रशिक्षणार्थी कॉविड उपयुक्त व्यवहार का ध्यान रखते हुए निम्न बिन्दुओं का ध्यान आवश्यक रूप से रखेंगे:-
 - (अ). सभी प्रशिक्षणार्थी को वेक्सिन के दोनों खुराक का प्रमाण-पत्र लाना होगा।
 - (ब). एक खुराक अथवा कोई भी खुराक नहीं ली गई तो रिपोर्टिंग से 48 घंटे पहले की RTPCR, Negative होने की रिपोर्ट लानी होगी।
 - (स). सभी प्रशिक्षणार्थी, समुचित मात्रा में मास्क लाएंगे तथा प्रशिक्षण काल के दौरान व पश्चात् मास्क का प्रयोग करेंगे।
 - (द). सभी प्रशिक्षणार्थी Social Distancing सुनिश्चित करेंगे।
 - (य). यदि किसी प्रशिक्षणार्थी के कॉविड के लक्षण पाए जाते हैं, तो वह तुरन्त कोर्स डायरेक्टर या एसोसिएट कोर्स डायरेक्टर को सूचित करेंगे।
2. प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को स्वयं के परिवार के किसी भी सदस्य को रखने की अनुमति नहीं होगी।
3. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संस्थान में वाहन का प्रयोग वर्जित है। कोई भी प्रशिक्षणार्थी वाहन लेकर संस्थान में नहीं आएगा।
4. सभी प्रशिक्षणार्थी रात्रि 09:00 बजे से पूर्व विश्रान्ति में प्रवेश कर लेंगे।
5. आधारभूत प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से सातवें दिन तक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इसके बाद आने वाले प्रशिक्षणार्थी कार्मिक विभाग या संबंधित नियोक्ता अधिकारी के यहाँ अपना उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।